

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(1)(4) आप्रसआ/सामान्य/2011/3943-8

दिनांक 25.3.2012 के द्वारा राज्य के 4 जिलों यथा दौसा, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर के 771 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। (अधिसूचना की प्रति संलग्न है)

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयनुसार अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में प्रभावित कास्तकारों के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों को कास्तकारों द्वारा दिए गए विकल्प अनुरूप मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर इस संबंध में जारी निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः— अधिसूचना की प्रति

३९४३/१२  
(तन्मय कुमार)  
शासन सचिव,

प्रमुख शासन सचिव,  
सहकारिता विभाग,  
राज० जयपुर ।

क्रमांकः—एफ 1(1)(4) आप्र. एवं सहा./सामान्य/2011/ 3944-85

जयपुर, दिनांक २५-३-२०१२

प्रतिलिपि:—पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

३९४३/२०१२  
शासन उप सचिव